8/3/22

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

पश्चात्वर्ती नोटिस देकर हुई। चूंकि वादीगण अनुपस्थित। वादीगण व वकील वादीगण को मालूम नहीं। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। पश्चात्वर्ती का विलोकन अध्ययन किया गया। उक्त अन्वाद प्रकरण दिनांक 18/01/2019 को वादीगण की अर्जी व अर्जी पेटरी में दाखिल किया गया था, जिसे वकील वादीगण द्वारा दिनांक 8/03/2019 को बुका, रेस्टोर करवाया जाने के उपरान्त अधिक पूरे तीन वर्षों का समय लेने के पश्चात भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई गई है, इससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता की इस अन्वाद प्रकरण में अब कोई रुचि नहीं रही है अतः उक्त अन्वाद प्रकरण तलबी के अभाव में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 CPC की तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर डायरी दफ्तार हो।

सहायक कलक्टर
SDO (गुड़ामालानी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:32 IST
Reason: SelfAttested